

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चमड़खान - कनोली - सैलापानी मोटर मार्ग का निर्माण

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.398 हेक्टर वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

अमीर

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत रानीखेत

कनिष्ठ अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत रानीखेत

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत रानीखेत

अधिकारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

पटवारी

पहाड़ीलदार रानीखेत
उपजिलाधिकारी
वन विभाग (चंद्रगढ़)

उपजिलाधिकारी
रानीखेत

प्रतिहस्ताक्षरित

उपजिलाधिकारी
चंद्रगढ़।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा यनवनाधिकारी, अल्मोड़ा।

वन दरोगा वन क्षेत्राधिकारी
वन विभाग अल्मोड़ा

उपप्रभागीय वनाधिकारी
वन दरोगा अल्मोड़ा
वन विभाग